

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सरसों के तहत समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-12-2024 तक कर सकते हैं।

सरसों के समूह प्रदर्शन प्लांट पर रू0 1200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Cluster demonstration on Rapeseed and Mustard (Assistance Rs. 1200/- acre) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No. | District | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 150 | 1.80 | 120 | 1.44 | 30 | 0.36 |
| 2 | Bhiwani | 400 | 4.80 | 320 | 3.84 | 80 | 0.96 |
| 3 | C. Dadri | 350 | 4.20 | 280 | 3.36 | 70 | 0.84 |
| 4 | Faridabad | 150 | 1.80 | 120 | 1.44 | 30 | 0.36 |
| 5 | Fathabad | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 6 | Gurugram | 250 | 3.00 | 200 | 2.40 | 50 | 0.60 |
| 7 | Hisar | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| 8 | Jhajjar | 350 | 4.20 | 280 | 3.36 | 70 | 0.84 |
| 9 | Jind | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 10 | Karnal | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 11 | Kurukshetra | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 12 | Kaithal | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 13 | M.Garh | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| 14 | Mewat | 250 | 3.00 | 200 | 2.40 | 50 | 0.60 |
| 15 | Panchkula | 100 | 1.20 | 80 | 0.96 | 20 | 0.24 |
| 16 | Panipat | 200 | 2.40 | 160 | 1.92 | 40 | 0.48 |
| 17 | Palwal | 250 | 3.00 | 200 | 2.40 | 50 | 0.60 |
| 18 | Sonipat | 250 | 3.00 | 200 | 2.40 | 50 | 0.60 |
| 19 | Rohtak | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| 20 | Rewari | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| 21 | Sirsa | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| 22 | Y. Nagar | 300 | 3.60 | 240 | 2.88 | 60 | 0.72 |
| | Total | 5500 | 66.00 | 4400 | 52.80 | 1100 | 13.20 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है।(अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलो (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 1600/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Cluster Demonstration Sunflower (Assistance Rs. 1600/- acre.) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 650 | 10.40 | 520 | 8.32 | 130.00 | 2.08 |
| 2 | Kurukshetra | 750 | 12.00 | 600 | 9.60 | 150.00 | 2.40 |
| 3 | Karnal | 250 | 4.00 | 200 | 3.20 | 50.00 | 0.80 |
| 4 | Kaithal | 270 | 4.32 | 216 | 3.46 | 54.00 | 0.86 |
| 5 | Panipat | 300 | 4.80 | 240 | 3.84 | 60.00 | 0.96 |
| 6 | Panchkula | 300 | 4.80 | 240 | 3.84 | 60.00 | 0.96 |
| 7 | Sonipat | 300 | 4.80 | 240 | 3.84 | 60.00 | 0.96 |
| 8 | Y. Nagar | 550 | 8.80 | 440 | 7.04 | 110.00 | 1.76 |
| | Total | 3370 | 53.92 | 2696 | 43.14 | 674 | 10.78 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है। (अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link **E-Agri Schemes Governance link** पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलो (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-12-2024 तक कर सकते हैं।

सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 2000/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds- Cluster Demonstration Rapeseed & Mustard with Bee keeping (Assistance Rs. 2000/- acre) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 80 | 1.60 | 64 | 1.28 | 16 | 0.32 |
| 2 | Kurukshetera | 80 | 1.60 | 64 | 1.28 | 16 | 0.32 |
| 3 | Karnal | 80 | 1.60 | 64 | 1.28 | 16 | 0.32 |
| 4 | Y. Nagar | 80 | 1.60 | 64 | 1.28 | 16 | 0.32 |
| 5 | Kaithal | 50 | 1.00 | 40 | 0.80 | 10 | 0.20 |
| 6 | Panipat | 50 | 1.00 | 40 | 0.80 | 10 | 0.20 |
| 7 | Panchkula | 80 | 1.60 | 64 | 1.28 | 16 | 0.32 |
| 8 | Sonipat | 50 | 1.00 | 40 | 0.80 | 10 | 0.20 |
| | Total | 550 | 11.00 | 440 | 8.80 | 110 | 2.20 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है।(अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सरसों के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
3. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
4. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
5. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलो (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-03-2025 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 2400/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds-Cluster demonstration Sunflower with Bee keeping (Assistance Rs. 2400/- acre) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Sr. No | District | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 90 | 2.16 | 72 | 1.73 | 18 | 0.43 |
| 2 | Kurukshetra | 80 | 1.92 | 64 | 1.54 | 16 | 0.38 |
| 3 | Karnal | 70 | 1.68 | 56 | 1.34 | 14 | 0.34 |
| 4 | Y. Nagar | 80 | 1.92 | 64 | 1.54 | 16 | 0.38 |
| 5 | Kaithal | 50 | 1.20 | 40 | 0.96 | 10 | 0.24 |
| 6 | Panipat | 50 | 1.20 | 40 | 0.96 | 10 | 0.24 |
| 7 | Panchkula | 80 | 1.92 | 64 | 1.54 | 16 | 0.38 |
| 8 | Sonipat | 50 | 1.20 | 40 | 0.96 | 10 | 0.24 |
| | Total | 550 | 13.20 | 440 | 10.56 | 110 | 2.64 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लाट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है। (अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
3. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
4. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
5. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 30-11-2024 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर रू० 4000/- क्विंटल सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Seed distribution of HYVs Mustard (Assistance Rs. 4000/- qtl.) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in qtl) | Fin. (Rs. in Lakhs) | Phy. (in qtl) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in qtl) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 2 | Bhiwani | 360 | 14.40 | 288 | 11.52 | 72 | 2.88 |
| 3 | C. Dadri | 310 | 12.40 | 248 | 9.92 | 62 | 2.48 |
| 4 | Faridabad | 164 | 6.56 | 131.2 | 5.25 | 32.8 | 1.31 |
| 5 | Fatehabad | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 6 | Gurugram | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 7 | Hisar | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 8 | Jhajjar | 280 | 11.20 | 224 | 8.96 | 56 | 2.24 |
| 9 | Jind | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 10 | Karnal | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 11 | Kurukshetra | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 12 | Kaithal | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 13 | M.Garh | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 14 | Mewat | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 15 | Panchkula | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 16 | Panipat | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 17 | Palwal | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 18 | Sonipat | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| 19 | Rohtak | 260 | 10.40 | 208 | 8.32 | 52 | 2.08 |
| 20 | Rewari | 280 | 11.20 | 224 | 8.96 | 56 | 2.24 |
| 21 | Sirsa | 300 | 12.00 | 240 | 9.60 | 60 | 2.40 |
| 22 | Y. Nagar | 210 | 8.40 | 168 | 6.72 | 42 | 1.68 |
| | Total | 5404 | 216.16 | 4323.2 | 172.93 | 1080.8 | 43.232 |

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में राईजोबियम/फॉसफोरस घोलक जीवाणु कल्चर के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

राईजोबियम व फॉसफोरस घोलक जीवाणु के वितरण पर अनुदान रू0 120/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds -Supply of rhyzobium culture/phosphate solubillsing bacteria (Assistant Rs. 120/ acre.) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 116 | 0.14 | 93 | 0.11 | 23 | 0.03 |
| 2 | Bhiwani | 150 | 0.18 | 120 | 0.14 | 30 | 0.04 |
| 3 | C. Dadri | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 4 | Faridabad | 80 | 0.10 | 64 | 0.08 | 16 | 0.02 |
| 5 | Fathabad | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 6 | Gurugram | 70 | 0.08 | 56 | 0.07 | 14 | 0.02 |
| 7 | Hisar | 120 | 0.14 | 96 | 0.12 | 24 | 0.03 |
| 8 | Jhajjar | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 9 | Jind | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 10 | Karnal | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 11 | Kurukshetra | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 12 | Kaithal | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 13 | M.Garh | 120 | 0.14 | 96 | 0.12 | 24 | 0.03 |
| 14 | Mewat | 90.5 | 0.11 | 72.5 | 0.09 | 18 | 0.02 |
| 15 | Panchkula | 60 | 0.07 | 48 | 0.06 | 12 | 0.01 |
| 16 | Panipat | 80 | 0.10 | 64 | 0.08 | 16 | 0.02 |
| 17 | Palwal | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 18 | Sonipat | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 19 | Rohtak | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 20 | Rewari | 120 | 0.14 | 96 | 0.12 | 24 | 0.03 |
| 21 | Sirsa | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| 22 | Y. Nagar | 100 | 0.12 | 80 | 0.10 | 20 | 0.02 |
| | Total | 2206.5 | 2.65 | 1765.5 | 2.12 | 441 | 0.53 |

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण रसायन सहित खरपतवारनाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन सहित खरपतवारनाशी के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of PP Chemicals including Weedicides (Assistant Rs.200/acre) for Rabi 2024-25 | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 2 | Bhiwani | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 3 | C. Dadri | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 4 | Faridabad | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 5 | Fathabad | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 6 | Gurugram | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 7 | Hisar | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 8 | Jhajjar | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 9 | Jind | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 10 | Karnal | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 11 | Kurukshetra | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 12 | Kaithal | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 13 | M.Garh | 200 | 0.40 | 160 | 0.32 | 40 | 0.08 |
| 14 | Mewat | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 15 | Panchkula | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 16 | Panipat | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 17 | Palwal | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 18 | Sonipat | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 19 | Rohtak | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 20 | Rewari | 150 | 0.30 | 120 | 0.24 | 30 | 0.06 |
| 21 | Sirsa | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| 22 | Y. Nagar | 100 | 0.20 | 80 | 0.16 | 20 | 0.04 |
| | Total | 2750 | 5.50 | 2200 | 4.40 | 550 | 1.10 |

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

| District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Nucler polyhedrosis Virus (NPV) (Assistant Rs.200/acre) for Rabi 2024-25. | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in acre) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 2 | Bhiwani | 63 | 0.13 | 50 | 0.10 | 13 | 0.03 |
| 3 | C. Dadri | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 4 | Faridabad | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 5 | Fathabad | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 6 | Gurugram | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 7 | Hisar | 60 | 0.12 | 48 | 0.10 | 12 | 0.02 |
| 8 | Jhajjar | 50 | 0.10 | 40 | 0.08 | 10 | 0.02 |
| 9 | Jind | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 10 | Karnal | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 11 | Kurukshetra | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 12 | Kaithal | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 13 | M.Garh | 60 | 0.12 | 48 | 0.10 | 12 | 0.02 |
| 14 | Mewat | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 15 | Panchkula | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 16 | Panipat | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 17 | Palwal | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 18 | Sonipat | 50 | 0.10 | 40 | 0.08 | 10 | 0.02 |
| 19 | Rohtak | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 20 | Rewari | 40 | 0.08 | 32 | 0.06 | 8 | 0.02 |
| 21 | Sirsa | 50 | 0.10 | 40 | 0.08 | 10 | 0.02 |
| 22 | Y. Nagar | 30 | 0.06 | 24 | 0.05 | 6 | 0.01 |
| | Total | 963 | 1.93 | 770 | 1.54 | 193 | 0.39 |

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण संसाधन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को सामान्य वर्ग के लिए प्रति इकाई 600 रुपए या लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों के लिए प्रति इकाई 800 रुपए या लागत का 50 प्रतिशत प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

| District Wise Physical Financial targets for NMEO- Oilseeds Supply of Plant Protection Equipments for Rabi 2024-25 (Manual Sprayer) Target in no. (Assistance Rs. 600/- or 40% of the cost for General and Rs. 800/- or 50% of the cost for SC/ST & Marginal Farmers) | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy (in Nos.) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in Nos.) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy (in Nos.) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 2 | Bhiwani | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 3 | C. Dadri | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 4 | Faridabad | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 5 | Fathabad | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 6 | Gurugram | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 7 | Hisar | 15 | 0.09 | 12 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 8 | Jhajjar | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 9 | Jind | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 10 | Karnal | 15 | 0.09 | 12 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 11 | Kurukshetra | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 12 | Kaithal | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 13 | M.Garh | 15 | 0.09 | 12 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 14 | Mewat | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 15 | Panchkula | 15 | 0.09 | 12 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 16 | Panipat | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 17 | Palwal | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 18 | Sonipat | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 19 | Rohtak | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 20 | Rewari | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 21 | Sirsa | 15 | 0.09 | 12 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 22 | Y. Nagar | 10 | 0.06 | 8 | 0.05 | 2 | 0.02 |
| | Total | 245 | 1.47 | 196 | 1.18 | 49 | 0.30 |

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प (क्षमता 16 लिटर से अधिक) पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 20-02-2025 तक कर सकते हैं।

मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को सामान्य वर्ग के लिए 8000/- रुपये या लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों के लिए 10000/- रुपये या लागत का 50 प्रतिशत प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

| District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of Plant Protection equipments for Rabi 2024-25, Power Operated (capacity above 16 Ltr.) Target in No. (Assistance Rs 8000/- or 40% of the cost for General and Rs. 10000/- or 50% of the cost for SC/ST & Marginal Farmers) | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Sr. No. | Distt | Total | | General Category | | SC Category | |
| | | Phy. (in No.) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in No.) | Fin. (Rs. in lakh) | Phy. (in No.) | Fin. (Rs. in lakh) |
| 1 | Ambala | 6 | 0.48 | 5 | 0.40 | 1 | 0.08 |
| 2 | Bhiwani | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 3 | C. Dadri | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 4 | Faridabad | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 5 | Fathabad | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 6 | Gurugram | 6 | 0.48 | 5 | 0.40 | 1 | 0.08 |
| 7 | Hisar | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 8 | Jhajjar | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 9 | Jind | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 10 | Karnal | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 11 | Kurukshetra | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 12 | Kaithal | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 13 | M.Garh | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 14 | Mewat | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 15 | Panchkula | 6 | 0.48 | 5 | 0.40 | 1 | 0.08 |
| 16 | Panipat | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 17 | Palwal | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 18 | Sonipat | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 19 | Rohtak | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 20 | Rewari | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 2 | 0.16 |
| 21 | Sirsa | 9 | 0.72 | 7.00 | 0.56 | 2.00 | 0.16 |
| 22 | Y. Nagar | 6 | 0.48 | 5 | 0.40 | 1 | 0.08 |
| | Total | 169 | 13.52 | 129 | 10.32 | 40 | 3.20 |

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा